9

To

(1) All the Financial Commissioners, Haryana;

(2) All the Administrative Secretaries to Government, Haryana.

U.O. No. 60/4/87-S(1)-A,

Dated Chandigarh, the 14the August, 1987.

A Copy each is forwarded to the Principal Secretary/Deputy Principal Secretary/Officer on Special Duty/Secretaries/Private Secretaries to the Chief Ministers/Ministers/State Ministers/Chief Parliamentary Secretary for the information to the Chief Ministers/Ministers/State Ministers/Chief Parliamentary Secretary.

Joint Secretary, General Administration, for Chief Secretary to Government, Haryana.

Τo

The Principal Secretary/Deputy Principal Secretary/Officer on Special Duty/Secretaries/Private Secretaries to the Chief Minister/Minister/State Ministers/Chief Parliamentary Secretary.

U.O. No. 60/4/87-S-(1)-A,

Dated Chandigarh, the 14th August, 1987.

कमांक 60/8/87~एस**0**(1)

त्रे**यक**

मुख्य संचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

- सभी विभागान्यक्ष, प्रायुक्त, अम्बाक्षा तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त एवं सभी उपप्रण्डल प्रविकारी (ना) हरियाणा ।
- रोजस्ट्रार, पंजान तथा हरियाणा उन्त न्यायालय और सभी जिला एवं सत न्यायाभीण ।
 दिनांक चण्डीगढ 25 दिसम्बर, 1987 ।

विषय:--वार्षिक गीपनीय रिपोर्ट किसने बारे ।

महोदय,

जपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सर्थ अक्षिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु निर्धारित फार्मों में निम्नलिखित एक कालम और जे? विया चाए, जिस बारे Reporting Authorities द्वारा टिप्पणी दी जाए; ---

''मधिकारी/कर्भचारी कार्याक्षय बन्द होने के बाद भीर छुट्टियों के दिनों में अपने मुख्याक्षय पर उपस्थित रहता (सथवा नहीं।''

- 2. निर्धारित फार्मों का तदानुसार संशोधन करके अधिम कार्यवाही की जाये। यह निर्णय वर्ष 1987-88 के कि लिखाये जाने वालीं रिपोर्टी से लागू होगा ।
 - 3. कृपसा इस एवं की पावती भेंजें।

भवदीय, इस्ता/-संयुक्त सचिव, सामान्य प्रकासन, कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति सभी वित्तायुक्त, हरियाणा ध्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्य तथा आवश्यव कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

इस्ता/---